न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 87/2018 **दायर दिनांकः 15/06/2018**

उनवान

1. मुन्ना उर्फ देवकिशन आयु 51 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति गूजर निवासी कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 बाबत् नाम दुरस्ती

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।

आदेश दिनाकः 16/12/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 खाता संख्या 231 का कुल किता 1 का रकबा 0.42 है0, खाता संख्या 101 का कुल किता 7 का रकबा 11.67 है0, खाता संख्या 169 का कुल किता 1 का रकबा 0.76 है0 तथा खाता संख्या 99 का कुल किता 2 का रकबा 3.50 है0 आराजी वादी देवकिशन के व अन्य सहखातेदारान के खाते दर्ज चली आ रही हैं तथा खाता संख्या 21 का कुल किता 1 का रकबा 2.40 है0 आराजी वादी देवकिशन की पत्नी कलावती बाई के खाते दर्ज चली आ रही हैं। जिसमें पति का नाम मुन्ना दर्ज हो रहा हैं। नकल जमाबन्दी खाता संख्या 231, 169, 101, 99, 21 सम्वत् 2074 से 2077 वाद पत्र के साथ संलग्न हैं जो काबिल गौर हैं। वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित आराजी में वादी का नाम मुन्ना दर्ज हो रहा हैं। वादी के बड़े भाई का नाम देवकिशन होने से वादी को शुरू से ही घर पर मुन्ना कहने के कारण वादी का नाम देवकिशन के स्थान पर मुन्ना रख दिया जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुन्ना दर्ज हो रहा हैं जबकि वादी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र व शिक्षा रिकॉर्ड में नाम देवकिशन हैं जिससे वादी सरकारी सहायता प्राप्त नहीं कर पा रहा हैं इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुन्ना के स्थान पर मुन्ना उर्फ देवकिशन किया जाना आवश्यक हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, शिक्षा रिकॉर्ड, पटवार मण्ड़ल कटावर रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत कटावर सरपंच प्रमाण पत्र की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम मुन्ना

के स्थान पर मुन्ना उर्फ देव किशन दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादी का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादी को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने से काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा हैं जिससे वादी को अपरिमित क्षति हो रही हैं जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादी को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादी का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर मुन्ना के स्थान पर मुन्ना उर्फ देवकिशन दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार पिता का इन्तकाल तस्दीक करते वक्त तथा अंतिम बार दिनांक 08/05/2018 को श्रीमान को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर श्रीमान द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से जिला कलेक्टर महोदय बारां को धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी 2 माह प्रेषित कर दिया हैं लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस की अवधि समाप्त हुये बिना ही राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी बनाकर यह वाद 80(2) सी0पी0सी के प्रार्थना पत्र के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। इसलिए 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद की नियमित सुनवाई की जावें। विवादग्रस्त आराजी ग्राम कटावर तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादी विनयी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावें कि :—

(अ) यह कि वादी का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम कटावर के खाता सं0 231 का कुल किता 1 का रकबा 0.42 है0, खाता संख्या 101 का कुल किता 7 का रकबा 11.67 है0 खा0 सं0 99 का कुल किता 2 का रकबा 3.50 है0 आराजी व खाता संख्या 169 का 1 किता का रकबा 0.76 है0, व 21 का कुल किता 1 का रकबा 0.24 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में मुन्ना के स्थान पर मुन्ना उर्फ देवकिशन दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान करें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी की गई, प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया जाता है। साक्ष्यवादी के तहत् PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किये,तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओ को दोहराया, तथा निवेदन किया गया कि वर्णित आराजी ग्राम कटावर की खाता संख्या 231 किता 1 रकबा 0.42 है0 व खाता संख्या 101 की किता 7 रकबा 11.67 है0 खाता संख्या 99 किता 2 रकबा 3.50 है0 खाता संख्या 169 किता 1 रकबा 0.76 है0 आराजी में मुन्ना के स्थान पर मुन्ना उर्फ देवकिशन दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम कटावर की खाता संख्या 231 खाता संख्या 101 खाता संख्या 99 खाता संख्या 169 में वादी का नाम मुन्ना पुत्र हीरालाल दर्ज है। तथा पहचान पत्र भारत निर्वाचन आयोग देव किशन उर्फ मुन्ना आधार कार्ड में देवकिशन, गुर्जर, परिवार राशन कार्ड में देव किशन सेकण्डरी स्कूल परीक्षा 1985 में देव किशन गुर्जर, तथा फर्द दस्तावेज के साथ नया आधार कार्ड में देवकिशन, पहचान पत्र में देवकिशन व राशन कार्ड में देवकिशन, अंकित है तथा पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 26.05.2014 में देवकिशन व मुन्ना एक ही व्यक्ति के दो नाम होना प्रमाणित किया है। व ग्राम पंचायत कटावर के प्रमाण पत्र दिनांक 06.06.2018 में भी मुन्ना उर्फ देवकिशन एक ही व्यक्ति होना बताया गया है, तथा साक्ष्य में भी मुन्ना देवकिशन एक ही व्यक्ति के नाम होना बताया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

—:क्रियात्मक आदेश:—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम कटावर की खाता संख्या 231 किता 1 रकबा 0.42 है0 खाता संख्या 101 किता 7 रकबा 11.67 है0 खाता संख्या 99 किता 2 रकबा 3.50 है0 खाता संख्या 169 किता 1 रकबा 0.76 है0 में खातेदार/सहखातेदार मुन्ना के स्थान पर मुन्ना उर्फ देवकिशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे, डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 87/2018

उनवान

1. मुन्ना उर्फ देवकिशन आयु 51 वर्ष आत्मज हीरालाल जाति गूजर निवासी कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0) वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार महोदय अटरू तह0 अटरू जिला बारां

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 बाबत् नाम दुरस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X.............................
बहाजिर :–
वादीः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पैरोकार सरकार।
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...
मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम कटावर की खाता संख्या 231 किता 1 रकबा 0.42 है0 खाता संख्या 101 किता 7 रकबा 11.67 है0 खाता संख्या 99 किता 2 रकबा 3.50 है0 खाता संख्या 169 किता 1 रकबा 0.76 है0 में खातेदार/सहखातेदार मुन्ना के स्थान पर मुन्ना उर्फ देवकिशन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 16.12.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:31:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: